न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़(राज.)

पीठीसीन अधिकारी
डॉ.अंजली राजोरिया I.A.S.

प्रकरण संख्या	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
08 / 2024 GCMS NO 2024/21	14 / 05 / 2024	23 / 12 / 2024

प्रार्थी		अप्रार्थी / बाकीदार–ऋणी
केप्री ग्लोबल केपिटल लिमिटेड, मुख्यालय 502, टावर–ए, पेनिसुला बिजनस पार्क, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र, शाखा कार्यालय,शाखा कार्यालय गांधी हॉस्पिटल के उपर सेन्टल बैंक ऑफ ईण्डिया के पास महू–नीमच रोड, मंदसौर	बनाम	1. श्री ओमप्रकाश पाटीदार पिता शम्भुलाल पाटीदार –ऋणी 2. श्रीमती रामकन्या बाई पत्नि ओमप्रकाश पाटीदार –सहऋणी 3. श्री शम्भुलाल पाटीदार पिता गुलाब चन्द्र पाटीदार निवासीयान रामद्वारा गली कुमावत धर्मशाला के पीछे, तहसील दलोट जिला प्रतापगढ़ –सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के तहत्

उपस्थिति :–

श्री सुरेन्द्र सिंह आंजना अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष

दिनांक :–23.12.2024

–: आदेश :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.11.2018 को अप्रार्थी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्री ओमप्रकाश पाटीदार पिता शम्भुलाल पाटीदार की वार्ड संख्या 13 सालमगढ़ रोड के पीछे, रामद्वारा के आगे गांव दलोट स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्पत्ति का अंग है जिसका माप लगभग 2178 वर्ग फीट है। जिसके पडोस पूर्व में–राजु तेली की सम्पत्ति, पश्चिम में –शंकरलाल तेली की सम्पत्ति , उत्तर में – श्री शांतिलाल कुम्हार का मकान, दक्षिण में – आम रास्ता स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रख कर 18,55,063/–अक्षरे अठारह लाख पचपन हजार तरेसठ हजार रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.02.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजुद ऋण राशि मय ब्याज 30,49,080 अक्षरे तीस लाख उनपचास हजार अस्सी रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। विपक्षी को समन जारी किये गये परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षी ऋणी को दिनांक 08.02.2024 को धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड जारी किया गया है। जिसकी अप्रार्थी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विपक्षी को सुनने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
5. अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में रखी गई श्री ओमप्रकाश पाटीदार पिता शम्भुलाल पाटीदार की वार्ड संख्या 13 सालमगढ़ रोड के पीछे, रामद्वारा के आगे गांव दलोट स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्पत्ति का अंग है जिसका माप लगभग 2178 वर्ग फीट है। जिसके पडोस पूर्व में–राजु तेली की सम्पत्ति, पश्चिम में –शंकरलाल तेली की सम्पत्ति , उत्तर में – श्री शांतिलाल कुम्हार का मकान, दक्षिण में – आम रास्ता स्थित है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 23/12/2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(डॉ.अंजली राजोरिया)
जिला कलक्टर,
प्रतापगढ़

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है

1. जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़
2. केप्री ग्लोबल केपिटल लिमिटेड, मुख्यालय 502, टावर–ए, पेनिसुला बिजनस पार्क, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र, शाखा कार्यालय,शाखा कार्यालय गांधी हॉस्पिटल के उपर सेन्टल बैंक ऑफ ईण्डिया के पास महू–नीमच रोड, मंदसौर
3. श्री ओमप्रकाश पाटीदार पिता शम्भुलाल पाटीदार, निवासी रामद्वारा गली कुमावत धर्मशाला के पीछे, तहसील दलोट जिला प्रतापगढ

जिला कलक्टर प्रतापगढ़